भाग–3

योजनाएँ

3.1 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन

विभाग में प्रत्येक वनमण्डल के 10 वर्षो की कार्य आयोजना तैयार कर वनों का प्रबंधन किया जाता है। योजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण भी किया जाता है, साथ ही बिगडे वनों के सुधार गतिविधियॉ एवं सघन वनों में पुनरूत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते है। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जलाऊ रोपण भी किया जाता है। इस हेतु कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वन विकास उपकर निधि से व्यय योजना के अन्तर्गत बजट में प्रावधान कराया जाता है।

कार्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन अन्तर्गत विगत वर्षो में कराये गये कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों का विवरण तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.1

कार्यों वृत्त समूहवार कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धि

(क्षेत्रफल हे0 में /राशि लाख रु0 में)

वर्ष	कार्य आयोजनाओं के कार्यवृत्त	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
2011-2012	समस्त समूह	361730	22161.29	361730	22170.44
2012-2013	संरक्षण समूह	19679	24967.98	19679	24954.33
	पुनरूत्पादन समूह	179946		179946	
	पुनर्स्थापना समूह	183742		183742	
2013-2014	संरक्षण समूह	18284	39424.88	18284	39367.74
	पुनरूत्पादन समूह	159806		159806	
	पुनर्स्थापना समूह	166838		166838	
2014-2015	संरक्षण समूह	18284	59178.19	18173	53905.62
	पुनरूत्पादन समूह	161056		156109	
	पुनर्स्थापना समूह	181936		175760	
2015-2016	संरक्षण समूह	16000	45550.00	13296	28017.54
	पुनर्स्थापना समूह	160000		157065	
	अतिव्यापी समूह	72923		72923	
2016-2017	संरक्षण समूह	18016	54708.60	10825	28903.28
	पुनरूत्पादन समूह	131739		76155	
	पुनर्स्थापना समूह	158966		97361	

विगत पॉच वर्षों में योजनान्तर्गत किये गये रोपण कार्य का विवरण तालिका क्रमांक 3.2 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.2

योजनान्तर्गत वर्षवार रोपण कार्य

रोपण वर्ष	क्षेत्र हेक्टेयर में
2012-2013	18919.48
2013-2014	25642.05
2014-2015	56930.49
2015-2016	96576.52
2016-2017	99196.52

3.2 वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियो के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वार्टर तथा नयी सड़कों एवं पुल, पुलिया का निर्माण कराया जाता है। परिवर्तित स्वरूप में इस योजना से वन प्रबंध हेतु अन्य अधोसंरचना विकास जैसे, संचार टॉवर, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि भी स्थापित किये जाते है। विभिन्न वर्षो में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्व हुये व्यय का विवरण तालिका क्रमांक 3.3 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.3

वर्षवार विकसित वन अधोसंरचना

राशि लाख रु0 में

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
2011-2012	277 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वार्टर	2600.00	277 आंशिक भवन पूर्ण तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वार्टर प्रगति पर	2592.92
2012-2013	141 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 592 भवन, 16 लाईन क्वार्टर	5000.00	141 आंशिक भवन पूर्ण तथा 592 भवन, 16 लाईन क्वार्टर कार्य प्रगति पर	4998.64
2013-2014	961 भवन निर्माण कार्य	7700.00	पूर्ण	7679.38
2014-2015	693 भवन निर्माण कार्य	8000.00	303 भवन पूर्ण एवं 390 आंशिक भवन पूर्ण	5487.68
2015-2016	433 भवन निर्माण कार्य	6000.00	390 भवन 2014–15 के एवं 433 भवन 2015–16 के निर्माणाधीन	4653.06
2016-2017*	298 भवन निर्माण कार्य	5025.00	433 अपूर्ण भवन 2015–16 के एवं 298 भवन 2016–17 के निर्माणाधीन	2128.55

* दिसम्बर 2016 की स्थिति में

3.3 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ/परियोजनाएँ

यू.एन.डी.पी. – जी.ई.एफ परियोजना

म.प्र.सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना शाखा द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के अनुदान से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से एक परियोजना **''म.प्र.एकीकृत भूमि एवं पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन''** का क्रियान्वयन माह अक्टूबर 2010 से अगस्त 2016 तक किया गया, जिसकी लागत 57.60 लाख डॉलर अर्थात लगभग 34.00 करोड रूपये थी।

उक्त परियोजना प्रदेश के 05 जिलों बैतूल, छिन्दवाडा, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया जिलों के दस वन मण्डलों में क्रियान्वित की गई। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल वायु परिवर्तन एवं भूमि क्षरण के प्रभाव को कम करना था।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गए:–

1. **बिगडे बांस वनों का सुधार**
   परियोजना अवधि में 10 वन मण्डलों की 60 वन समितियों के लगभग 15780 हेक्टयर बिगडे बांस वन क्षेत्र में कार्य कराया गया है, जिससे लगभग 789 परिवार लाभान्वित हुये है। इस कार्य के एवज में प्रति हितग्राही परिवार को रूपये 3500/– प्रतिमाह का मानदेय प्रदाय किया गया है। प्रति परिवार द्वारा प्रतिवर्ष 5 हेक्टेयर के मान से 4 वर्षों में कुल 20 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया।
2. **ऊर्जा एवं चारा रोपण की स्थापना**
   200–200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से ऊर्जा एवं चारा रोपण की स्थापना की गई।
3. **ग्रामीणों की बाड़ियों में औषधीय प्रजातियों का वृक्षारोपण**
   इस घटक के अंतर्गत ग्रामीणों की बाड़ियों में औषधीय एवं फलदार प्रजातियों जैसे ऑवला, बेल, सतावर, सर्पगंधा, एलोबेरा, पपीता आदि के पौधे रोपण हेतु चिन्हित 400 समिति में से प्रत्येक में 1500 पौधों का वितरण किया गया। कुल 6 लाख पौधे रोपित किये गये।
4. **वन/गैर वन भूमि स्थित जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन**
   कुल 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 वन समितियों के माध्यम से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (कंटूर, ट्रेंच, गली प्लगिंग, स्टाप डैम, नाला बंधान, निस्तार टेंक आदि का निर्माण) कराये गये।
5. **वन समिति सदस्यों का कौशल उन्नयन**
   परियोजना जिलों के 10 वन मंडलों में से प्रत्येक में 20 समिति सदस्यों के मान से 200 समिति सदस्यों को संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित विषयों पर मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया गया।
6. **सूक्ष्म मध्यम उद्यम की स्थापना**
   ग्रामवासियों को आजीविका का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराकर उनमें उद्यमिता कौशल का विकास करने की दृष्टि से 07 वन मंडलों की वन समितियों में अगरबत्ती काड़ी, अगरबत्ती, चिंद्दी रस्सी निर्माण तथा मुर्गी पालन एवं वनोपज व्यापार संबंधी उद्यम स्थापित किये गये।
7. **कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्य**
   उन्नत कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ग्रामों में कृषि संबंधित गतिविधियॉ की गई है। इस हेतु सीधी एवं छिंदवाड़ा जिलों में 100 लघु कृषकों के 10 समूह तैयार किये गये।

बांस वनों के सुधार से अगरबत्ती निर्माण तक की यात्रा में ग्रामवासियों का कौशल उन्नयन एवं आजीविका विकास – जिला सीधी

————